सं. एफ. 31011/3/2014-स्था.(ए-IV)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

स्थापना (ए-IV) डेस्क

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 19 सितम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश यात्रा रियायत) नियमावली, 1988 - उत्तर पूर्व क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर तथा अंडमान और निकोबार के भ्रमण हेतु हवाई जहाज से यात्रा करने में छूट।

***

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को उत्तर-पूर्व क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर और अंडमान निकोबार द्वीप की हवाई यात्रा की योजना को बढ़ाने से संबंधित इस विभाग के दिनांक 09.09.2016 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का अवलोकन करने का निदेश हुआ है। चूंकि अनेक तरफ से स्पष्टीकरण की मांग की गई है, अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नलिखित योजनाओं को 26 सितम्बर, 2016 से दो वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया है:

(i) गृह शहर की अवकाश यात्रा रियायत के बदले में उत्तर-पूर्व क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर और अंडमान-निकोबार जाने के लिए अवकाश यात्रा रियायत।

(ii) गैर-हकदार सरकारी कर्मचारियों को उत्तर-पूर्व क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर और अंडमान-निकोबार जाने के लिए हवाई यात्रा की सुविधा।

(iii) निजी एयरलाइन्स द्वारा जम्मू-कश्मीर की यात्रा करने की अनुमति।

2. उपर्युक्त विशेष राहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

(i) सभी पात्र सरकारी कर्मचारी चार वर्ष के ब्लॉक की अपनी एक गृह शहर अवकाश यात्रा रियायत के परिवर्तन पर उत्तर-पूर्व क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर और अंडमान-निकोबार में किसी स्थान की यात्रा कर सकते हैं।

(ii) सरकारी कर्मचारी जिनका गृह शहर और मुख्यालय/तैनाती का स्थान एक ही है, उन्हें परिवर्तन कराने की अनुमति नहीं है।

(iii) नवनियुक्तों को चार वर्ष के ब्लॉक में मिलने वाली तीन गृह शहर अवकाश यात्रा रियायत में से एक को परिवर्तन कराने की अनुमति है।

(iv) जो सरकारी कर्मचारी हवाई यात्रा के पात्र हैं, वे मुख्यालय से इस अवकाश यात्रा रियायत का उपयोग करते हुए इकोनॉमी श्रेणी में एल.टी.सी.-80 किराया या उससे कम पर यात्रा कर सकते हैं। उत्तर-पूर्व क्षेत्र और पोर्ट ब्लेयर के लिए यात्रा केवल एयर इंडिया से की जानी है। परंतु जम्मू-कश्मीर की अवकाश यात्रा रियायत लेते समय किसी भी एयरलाइन्स की सेवा का उपयोग किया जा सकता है।

(v) जो सरकारी कर्मचारी हवाई यात्रा के पात्र नहीं हैं, उन्हें निम्नलिखित सेक्टर में हवाई यात्रा की अनुमति है-

(क) कोलकाता/गुवाहाटी और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के किसी स्थान के बीच केवल एयर इंडिया द्वारा इकोनॉमी श्रेणी में एल.टी.सी.-80 किराया या उससे कम पर।

(ख) कोलकाता/चेन्नै/भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर के बीच केवल एयर इंडिया द्वारा इकोनॉमी श्रेणी में एल.टी.सी.-80 किराया या उससे कम पर।

(ग) दिल्ली/अमृतसर और जम्मू-कश्मीर के किसी भी स्थान के बीच किसी एयरलाइन्स द्वारा इकोनॉमी श्रेणी में एल.टी.सी.-80 किराया या उससे कम पर।

ऐसे गैर-हकदार कर्मचारियों को अपने मुख्यालय से कोलकाता/गुवाहाटी/चेन्नै/भुवनेश्वर/दिल्ली/अमृतसर की यात्रा अपनी हकदारी के अनुसार करनी होगी।

(vi) गैर-हकदार अधिकारियों को उत्तर-पूर्व क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर और अंडमान-निकोबार की हवाई यात्रा भारत में कहीं भी की सामान्य अवकाश यात्रा रियायत या गृह शहर अवकाश यात्रा रियायत के बदले में करने की अनुमति है।

(vii) एल.टी.सी. यात्रा करने के लिए एयर टिकट सीधे एयरलाइन्स (बुकिंग काउन्टर, एयरलाइन्स की वेबसाइट) से अथवा प्राधिकृत ट्रेवल - एजेंट्स नामतः मेसर्स बॉमर लॉरी एंड कंपनी, मेसर्स अशोक ट्रेवल एंड टूअर्स तथा आई.आर.सी.टी.सी. (जिस सीमा तक आई.आर.सी.टी.सी. को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02.12.2009 के का.ज्ञा.सं. 31011/6/2002-स्था.(क) के अनुसार प्राधिकृत किया गया है) की सेवा का प्रयोग करते हुए खरीदे जाने हैं। अन्य एजेंसियों के माध्यम से टिकट बुकिंग की अनुमति नहीं है।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों को अपने सभी कर्मचारियों को यह संज्ञान में लाने की सलाह दी जाती है कि एल.टी.सी. के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को गंभीरता से लिया जाएगा तथा कर्मचारियों के विरुद्ध नियमों के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। एल.टी.सी. के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए मंत्रालयों/विभागों को पदधारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए हवाई यात्रा टिकटों को हवाई यात्रा के वास्तविक मूल्य तथा पदधारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए हवाई यात्रा टिकटों पर अंकित मूल्य के संबंध में एयरलाइन्स से यादृच्छिक रूप से सत्यापित करवाने की सलाह दी जाती है।

हस्ताक्षर/-
(मुकेश चतुर्वेदी)
निदेशक (स्थापना)

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
(मानक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केन्द्रीय अन्वेषशण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. संसदीय पुस्तकालय, नई दिल्ली।
6. सभी संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासन।
7. राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय।
9. एनआईसी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को इस कार्यालय ज्ञापन के इस मंत्रालय की वेबसाइट कार्यालय ज्ञापन/आदेश → स्थापना → एल.टी.सी. नियम पर अपलोड करने के लिए]